भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3388
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

असम में ग्राम न्यायालयों की स्थापना

3388. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में जिला न्यायालयों और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत असम में कोई ग्राम न्यायालय अधिसूचित, स्थापित या क्रियाशील किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों में ग्राम न्यायालयों के संचालन से, जहाँ वे स्थापित किए गए हैं, विशेष रूप से त्वरित्त और सुलभ ग्रामीण न्याय के संदर्भ में, कोई मापनीय लाभ या सकारात्मक परिणाम देखे हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो इस पहल को पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरंभ करने में निरंतर विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं. यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, असम के जिला न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

न्यायालय	सिविल	आपराधिक	कुल
असम जिला न्यायालय	1,08,997	4,38,266	5,47,263
गुवाहाटी उच्च न्यायालय	46,526	16,362	62,888

(ख) से (ङ) : असम सरकार ने असम राज्य में किसी भी ग्राम न्यायालय को अधिसूचित या संचालित नहीं किया है । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अनुसार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा, किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, सन्निहित ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या एक से अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकती है । अत:, अधिनियम ग्राम न्यायालयों की स्थापना को आज्ञापक नहीं बनाता है । तथापि, न्याय विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उच्च न्यायालयों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ग्राम न्यायालयों की स्थापना और प्रभावी कामकाज का समर्थन करने के लिए, विभाग ग्राम न्यायालय स्कीम को लागू कर रहा है, विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति ग्राम न्यायालय 18 लाख रुपये है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार पहले तीन वर्षों के लिए ग्राम न्यायालयों के संचालन के लिए सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपये है।

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को नागरिकों को उनके दहलीज पर न्याय उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए भी ऐसा किया जा सकता है । इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, अधिनियम में मामलों की शीघ्र सुनवाई और निपटान हेतु कई उपबंध हैं, जैसे न्यायाधिकारियों द्वारा मोबाइल न्यायालयों का आयोजन, आपराधिक मामलों की संक्षिप्त सुनवाई, सौदा अभिवाक, सिविल मामलों में सुलह और समाधान के प्रयास, अभियुक्तों को विधिक सहायता आदि । ग्राम न्यायालय स्कीम के हाल ही में किए गए एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के निष्कर्षों से पता चला है कि ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर पड़े समुदायों को सुलभ विधिक सहायता प्रदान करके सामाजिक न्याय प्राप्त करने में सफल रहे हैं । ग्राम न्यायालय पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, 10 राज्यों में कार्यरत 331 ग्राम न्यायालयों ने 30.06.2025 तक 4,11,071 मामलों का निपटारा किया है।

****